

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्र क्र. २८ / प्र०अ०(त०स०) / जौन-१ / शमन / २०१४-१५ दिनांक ९ / ११ / २०१५

विनियमितीकरण-पत्र


यह नियमितीकरण उप्र० नगर नियोजन विकास आधिकारिक विभाग की धारा ३२ के उन्नत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर पंचितबद्ध आवास (४ एकल आवासीय) निर्माण करने के लिये विभाग नहीं है, इससे किसी प्रलाप या किसी स्थानीय लिकाच या हस्तका स्थानीय अविलासी या अद्वितीय अवधार कर के इसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के विलियत या स्पामिल के अधिकारों के द्वारा कोई प्रभाव न रखेगी।


श्री गणेश गुलाटी पुत्र स्व० एन०ए० गुलाटी द्वारा भूखण्ड संख्या-३४ भवन सं०-११८ए/१७० दरभंगा इलाहाबाद जौन ज़रूरा (१) ले उन्नत द्वारेल पंचितबद्ध आवास (४ एकल आवासीय) शमन नामांकित प्रमाण गहराये की स्वीकृति/निर्माण आदेश दिनांक ०८.११.२०१५ के द्वारा निर्मान प्रतिवेदन के अधीन प्रदान की जाती है।

१. उप्र० नगर नियोजन एवं विकास आधिकारिक १९७३ की धारा १५५ (१) के प्राविधिकों के अनुरूप मूल्यांकन पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपरोक्त/अधिकारी किया जायेगा। भवन निर्माण एवं गिकरा उपरोक्त २००८ ने उन्नीष्ठ संख्या-२.१.६ एवं ३.१.५ में निर्दिष्ट प्रक्रिया पूर्ण कर दूर्जा। प्राप्त-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनुनिया (Provisional) स्वीकृति के रूप में दी गई। निर्माण पूर्ण होने के उपरान् एनी शास्त्रात्मक Mandatory Clearances/N.O.C की हाते पूर्ण होने के पश्चात् निर्माण किये जाने वाले 'पुराता' प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. गानविक्र में दीर्घांत आशानीय भाग को स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख-रेख में रखत व्यस्त करना होगा तथा यह सुनिश्चित लगना होगा कि अशानीय भाग को विरामे जाने से नवन ली स्ट्रक्चरल संरक्षी प्रभावित न हो। इस लेतु दिये गये शास्त्र एवं (72AC ८०१७०५ दिनांक २५.०७.२०१५) का अनुमालन बाध्यकारी होगा।
४. पूर्व स्वीकृत नानविक्र परिग्रह रां०-२८ / प्र०आ०-८८८० / R.H/जौन-१/२०१४-१५ दिनांक १०.०६.२०१५ में अंकित आव्याप्त प्रतिमन्त्र पूर्णता प्रभावी रहेंगे।
५. मानविक की स्थीरता (शमन) रिट यादिका सं०-८८८०/२०१४ में पारित होने वाले अनियन निर्य के अधीन होगी तथा नियांकर्ता के सम्बन्ध स्थानान्तरण अंकोंमेटम १९८२ की धारा ५२ के अनुसार विन न्यायालय की अनुगति के सम्बन्ध में स्थानान्तरण पर चोक का अनुमालन भी करना होगा।
६. भविष्य में विविध प्रतिमिक विन्दु पर विविध न्यायालय द्वारा डैंड निरस्त की जाती है या अन्य विवाद के कारण स्ट्रेसिल पर कोई विवरीत प्रमाण पड़ता है तो स्वीकृत मान वेत्र त्वात् निरस्त विवाद का बताओ नोटिस के बदल पिया जायेगा। मानविक की रही होते हो नैमित अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
७. गानवीय न्यायालय में कोई बाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदल स्थीरता ग-नीय न्यायालय के नियंत्रण में अधीन होगी। यह स्वीकृति मू-च्चागत्य या अधिकार प्रदल नहीं करती है। भू-स्थानित राजनीय लोई भी विवाद सहाम न्यायालय/राजिकारी द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है।
८. यदि अवेदन द्वारा कोई महत्वपूर्ण रूपना छिन्नी गयी है अथवा गतत रूपना दी गयी है तो उप्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के उन्नत नानविक्र निरस्त करने वाला होगा।
९. यकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा राजमार्ग या नाली के किसी भाग (जो गवान के आगे भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) गो डानि चुन्हे हो गृहस्थानी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा बादे विकास प्राधिकरण ने एक लिखित दूचना द्वारा और शीघ्र छह ते नहजे ही उसे अपने खाने से न रमत कराकर मूल्यांक अग्रस्थ उपलब्ध विस्तरे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाये, में कर देगा।
१०. इसका भी ध्यान रखना होगा। कि भारतीय विद्युत आधिनियम १९५६ (इंगिलिश इलेक्ट्रिसिटी लॉन १९६३) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे नामले पाये जाए तो वह ऐसे निर्माण जो रोक अथवा उटवा राखता हो।



श्रीमान भानु भू
द्यु कृष्ण उपर्युक्त
कृष्ण
१२/११/१४

४-
(गुदाकेश शमन)
स्थुल सचिव
२०१५





SHEET NO. 08



THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS
ACCORDING TO BY LAWS BHAWAN
UPVON 2010 AND NORMS OF A.C.A.
MATA YOGA 2011

PROPOSED COVERED AREA & SANCTIONED AREA		SANCTIONED AREA A		SANCTIONED AREA B		SANCTIONED AREA C		SANCTIONED AREA D		PARK/SCRM AREA A+B+C	
1	AREA OF PLOT (BUNGLOW)	72.20 sqm									
2	AREA OF PLOT (ASSORT)	75.14 sqm									
3	COV ON GROUND PL AN	74.40 sqm	71.70	5.61 sqm	7.40 sqm	—	55.54 sqm				
4	COV ON FIRST PL AN	54.41 sqm	71.70	1.96 sqm	7.40 sqm	—	56.34 sqm				
5	COV ON SECOND PL AN	29.39 sqm	71.70	17.46 sqm	—	13.44 sqm	40.22 sqm				
6	TOTAL FLOOR COF.	197.24 sqm	213.37	34.07 sqm	29.45 sqm	105.31 sqm	195.31 sqm				
7	OPEN AREA	19.31 sqm	—	—	—	—	5.98 sqm				
8	COMMON AREA	19.31 sqm	—	—	—	—	5.98 sqm				
9	BUILDING HIGH	10.35 m									
10	PARCOLA										

Er. J.L. Tripathi
B.Tech (CIVIL)
Civil Engineer Reg No. S-91258
The Institution of Engineers (India)

OWNER NAME
SHRI MANISH GULATI
S/O LATE NARENDRA NATH GULATI

COMPOUNDING & SANCTION
ROW HOUSING BUILDING PLAN
ON PLOT NO. 8 HOUSE NO.
116A/170, DARBHANGA,
ALLAHABAD

DATE: 27-06-2015
SCALE: 1:100
DEALT BY:
SIG. OWNER: *[Signature]*
SIG. ENGR: *[Signature]*
Civil Engineers Reg No. S-91258
The Institution of Engineers (India)

SHEET NO. 07

